हरसीमरन सिंह सेठी **,** जे**. के सन्मुख**

बलजीत सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और अन्य **-** प्रतिवादीगण

सीडब्ल्यूपी-16754-2012

5 सितंबर, 2019

भारत का संविधान**, 1950,** अनुच्छेद **14** और **226**-वेतन का पुनर्निर्धारण- पदोन्नति **का लाभ छोड़ने** पर अतिरिक्त भुगतान की निकासी-किसी भी नियम के अभाव में**,** नियोक्ता उच्च मानक पैमाने को वापस नहीं ले सकता है-इस तरह के कार्य को अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाएगा-पदोन्नत पद पर तुरंत शामिल न होने का मतलब पदोन्नति को छोड़ना भी नहीं होगा-पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह **2015 (4)** एस**.** सी**.** सी**. 334** में**,** सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली नहीं की जा सकती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि इस याचिका में इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि क्या यदि कोई कर्मचारी अपनी पदोन्नति छोड़ देता है, तो उक्त अधिनियम प्रतिवादीगण को उस लाभ को वापस लेने का अधिकार देगा, जो पहले से ही उक्त कर्मचारी को पदोन्नति छोड़ने की तारीख से पहले दिया गया है और क्या वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने वास्तव में पदोन्नति को पहले ही छोड़ दिया था या नहीं।अगला सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या प्रतिवादीगण याचिकाकर्ता के वेतन को फिर से निर्धारित करने के बाद याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों से अतिरिक्त भुगतान की राशि की वसूली कर सकते हैं।

(पैरा 5)

अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान रिट याचिका में, वर्ष 1994 में याचिकाकर्ता को दिए गए उच्च मानक पैमाने के लाभ को उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर वापस ले लिया गया है कि वर्ष 2003 में, याचिकाकर्ता को सहायक फोरमैन के पद पर पदोन्नति दी गई थी, जिसे उसने छोड़ दिया था । पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करने के कारण पहले से दिए गए लाभ को वापस लेने की शक्ति बढ़ाने वाले किसी भी नियम के अभाव में, याचिकाकर्ता से उच्च मानक पैमाने को वापस लेने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाना चाहिए और तदनुसार वापिस लिया जाता है। (पैरा 7)

अभिनिर्धारित किया कि इन परिस्थितियों में तुरंत पदोन्नत पद पर शामिल न होने को पदोन्नति छोड़ने के रूप में नहीं माना जा सकता है जब याचिकाकर्ता वास्तव में उसी पदोन्नति आदेश

दिनांक 03.12.2003 के अनुसरण में पदोन्नत पद में शामिल हुआ था।

(पैरा 9)

आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली नहीं की जा सकती है। (पैरा 10)

B.S.Mittal, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

विवेक चौहान, अधिवक्ता प्रतिवादीगण के लिए।

हरसिम्**र** न सिंह सेठी**,** जे**.** ओरल

(1) वर्तमान रिट याचिका में, चुनौती उस आदेश दिनांकित 17.3.2010 (अनुलग्नक पी-1) को दी गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन को फिर से तय करके रु. 1,16,073 की राशि काट ली गई है।आगे की चुनौती उस आदेश दिनांकित 15.03.2012 (अनुलग्नक पी-6) को दी गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 20 साल की सेवा पूरी करने पर 01.01.1994 पर दिए गए उच्च मानक पैमाने को वापस ले लिया गया है, वह भी याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद।

(2) रिट याचिका में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

याचिकाकर्ता को वर्ष 1972 में सहायक लाइनमैन नियुक्त किया गया था।इसके बाद, दिसंबर, 1986 में, उन्हें लाइनमैन के रूप में पदोन्नत किया गया और उसके बाद, वर्ष 2003 में सहायक फोरमैन के रूप में पदोन्नत किया गया, जिस पद पर याचिकाकर्ता वास्तव में लगभग 30 साल की सेवा प्रदान करने के बाद 1.7.2005 को शामिल हुआ।याचिकाकर्ता वर्ष 2010 में सहायक फोरमैन के रूप में सेवा से सेवानिवृत्त हुए।उनकी सेवानिवृत्ति से पहले, याचिकाकर्ता को 1,16,073 रुपये के अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए एक नोटिस दिया गया था।उक्त पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उसका वेतन फिर से तय कर दिया गया है और फिर से तय करने पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता को 1,16,073 रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है जिसे वसूल करने की आवश्यकता है।उक्त पत्र को अनुबंध पी-1 के रूप में संलग्न किया गया है।पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त वसूली इस आधार पर की जा रही थी कि याचिकाकर्ता उच्च मानक वेतनमान के साथ-साथ एसीपी का हकदार नहीं था जो उसे गलत तरीके से दिया गया था।

अतिरिक्त भुगतान राशि को याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों से काट लिया गया था।राशि की कटौती के बाद, प्रतिवादी ने 15.03.2012 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उच्च मानक पैमाने का लाभ वापस ले लिया गया।

जो याचिकाकर्ता को 20 साल की नियमित सेवा के पूरा होने पर 1.1.1994 को दिया गया था, लेकिन उक्त लाभ की वापसी के अनुसरण में प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2010 में उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली पहले ही की जा चुकी है।याचिकाकर्ता उच्च मानक पैमाने के लाभ को वापस लेने के साथ-साथ 1,16,073 रुपये की वसूली को चुनौती दे रहा है-जिसे प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों से काट लिया है।याचिकाकर्ता का दावा है कि एक बार जब याचिकाकर्ता को 20 साल की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च मानक पैमाने का लाभ पहले ही दिया जा चुका है, तो उसे कुछ बाद की घटनाओं जैसे कि दिनांकित पदोन्नति आदेश के अनुसरण में पदोन्नति पद पर शामिल न होने के कारण वापस नहीं लिया जा सकता था।इसके अलावा, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता से उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वसूली की गई है, जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं है।

(3) नोटिस पर, प्रतिवादीगण ने जवाब दाखिल किया है जिसमें प्रतिवादीगण ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी पदोन्नति छोड़ देता है, तो वह एसीपी स्केल का दावा करने का अपना अधिकार खो देता है जो उसे इस आधार पर दिया जाता है कि कर्मचारी हालांकि योग्य है, लेकिन पदोन्नति कैडर में कम रिक्तियों के कारण पदोन्नति प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।प्रतिवादीगण ने कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता दिनांक 3-12-2003 के पदोन्नति आदेश के बाद पदोन्नत पद में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपनी पदोन्नति को छोड़ दिया था, जो प्रतिवादीगण को उच्च मानक पैमाने का लाभ वापस लेने का अधिकार देता है जैसा कि याचिकाकर्ता को 1994 को 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद दिया गया है।

(4) मैंने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(5) इस याचिका में इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि क्या यदि कोई कर्मचारी अपनी पदोन्नति छोड़ देता है, तो उक्त अधिनियम प्रतिवादीगण को उस लाभ को वापस लेने का अधिकार देगा, जो पदोन्नति छोड़ने की तारीख से पहले ही उक्त कर्मचारी को दिया गया है और क्या वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने वास्तव में पदोन्नति को पहले ही छोड़ दिया था या नहीं।अगला सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या प्रतिवादीगण याचिकाकर्ता के वेतन को फिर से निर्धारित करने के बाद याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों से अतिरिक्त भुगतान की राशि की वसूली कर सकते हैं।

(6) वर्तमान रिट याचिका में, वर्ष 1994 में याचिकाकर्ता को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद उच्च मानक पैमाने का लाभ दिया गया था।याचिकाकर्ता को उस तारीख को भी उक्त लाभ मिलता रहा जब उसे 03.12.2003 पर अगले उच्च संवर्ग में पदोन्नत किया गया था।जब याचिकाकर्ता को लाइनमैन के पद से सहायक फोरमैन के पद के लिए पदोन्नत किया गया था,

वेतन में कोई संशोधन नहीं किया गया है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा 20 साल की सेवा पूरी करने पर उसे उच्च मानक प्रदान करके जो लाभ पहले ही दिया जा चुका है और विधिवत स्वीकार किया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता से जो लाभ वापस लिया गया था, उसे 20 साल की सेवा पूरी होने पर दिया गया था और उसे केवल इस आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता है कि उक्त लाभ देने के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी पदोन्नति को छोड़ दिया था।पदोन्नति को छोड़ना केवल आगे के लाभों के अनुदान में एक बाधा हो सकती है, जो एक कर्मचारी के रास्ते में आती है।

(7) वर्तमान रिट याचिका में, वर्ष 1994 में याचिकाकर्ता को दिए गए उच्च मानक पैमाने के लाभ को प्रतिवादीगण द्वारा इस आधार पर वापस ले लिया गया है कि वर्ष 2003 में, याचिकाकर्ता को सहायक फोरमैन के पद पर पदोन्नति दी गई थी, जिसे उसने छोड़ दिया था।किसी भी नियम के समर्थन के बिना, उक्त कार्रवाई प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा की गई है, जिसे कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है और इसे दरकिनार कर दिया जाना है।इस न्यायालय को कोई नियम नहीं दिखाया गया है जो प्रत्यर्थी को यह अधिकार देता है कि पदोन्नति को छोड़ने पर, पहले से दिए गए लाभों को भी वापस लिया जा सकता है।पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करने के कारण पहले से दिए गए लाभ को वापस लेने की शक्ति बढ़ाने वाले किसी भी नियम के अभाव में, याचिकाकर्ता से उच्च मानक पैमाने को वापस लेने में प्रतिवादी की कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाना चाहिए और इसे निरस्त किया जाना चाहिए और तदनुसार निरस्त कर दिया जाता है।

(8) आगे सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने वास्तव में अपनी पदोन्नति को छोड़ दिया है या नहीं।

(9) प्रतिवादीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को 3.12.2003 को पदोन्नत किया गया था।याचिकाकर्ता 17.8.2005 को उक्त पोस्ट पर शामिल हुआ।इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता पदोन्नति आदेश प्राप्त करने के तुरंत बाद पदोन्नत पद में शामिल होने में विफल रहा, लेकिन यह प्रतिवादीगण का मामला नहीं है कि पदोन्नति आदेश दिनांक 03.12.2003 को वापस ले लिया गया था या याचिकाकर्ता को वर्ष 2005 के अंत में नए सिरे से पारित पदोन्नति आदेश पर पदोन्नति मिली थी, जिस पद पर वह 7.8.2005 को शामिल हुआ था।प्रतिवादीगण द्वारा यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता केवल दिनांक 03.12.2003 के पदोन्नति के आदेश के आधार पर पदोन्नत पद में शामिल हुआ था।अधिक से अधिक, यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता तुरंत 3.12.2003 दिनांकित पदोन्नति आदेश के अनुसरण में पदोन्नत पद पर शामिल नहीं हुआ था, इसलिए, तथ्यों से, यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपनी पदोन्नति को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वह तुरंत उक्त पदोन्नति वाले पद पर शामिल नहीं हुआ।इन परिस्थितियों में तुरंत पदोन्नत पद पर शामिल न होना पदोन्नति को त्यागने के रूप नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ता वास्तव में उसी पदोन्नति आदेश दिनांक 03.12.2003 के अनुसरण में पदोन्नत पद में शामिल हुआ था।

(10) इसके अलावा, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली नहीं की जा सकती है।याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पंजाब राज्य और अन्य आदि बनाम रफीक मसीह [1] पर निर्भर करते हैं में तर्क दिया गया कि वसूली एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से प्रभावित नहीं की जा सकती है।

(11) रफीक मसीह (ऊपर) का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः-

> "12. कठिनाई की सभी स्थितियों को अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है, जो कर्मचारियों को वसूली के मुद्दे पर नियंत्रित करेगा, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से भुगतान किया गया है, जो उनकी पात्रता से अधिक है।चाहे जो भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगीः
>
> (i) श्रेणी-III और श्रेणी-IV सेवा (या समूह 'सी' और समूह 'डी' सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।
>
> (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ।
>
> (iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।
>
> (iv) ऐसे मामलों में वसूली जहां एक कर्मचारी को गलत तरीके से एक उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक किया गया है, और उसी के अनुसार भुगतान किया गया है, भले ही उसे किसी निम्न पद के खिलाफ काम करने के लिए उचित रूप से आवश्यक किया गया हो।
>
> (v) किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।"

(12) प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील का कहना है कि निर्णय रफीक मसीह (उपरोक्त) का

---

[1] 2015 (4) एस. सी. सी. 334

आदेश वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि वसूली वर्ष 2010 में की गई थी जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिसंबर, 2014 में पारित किया गया था और इसलिए उक्त निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है।

(13) उक्त प्रश्न पर इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिनांक 9.8.2018 को एल. पी. ए. No.2448 आफ 2016 निर्णय लेते समय, पंजाब राज्य और अन्य बनाम अमरीक सिंह और अन्य पर भी विचार किया गया है ,जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रफीक मसीह (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।इस संबंध में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

> "यह तर्क कि रफीक मसीह में निर्धारित सिद्धांत 'संभावित रूप से' लागू होंगे, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कोई सीमा नहीं लगाई गई है।प्रतिवादीगण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, कि उनमें से कई सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्ति के करीब हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे समूह 'सी' और 'डी' पदों पर हैं, हम संतुष्ट हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विवेकाधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।"

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न केवल 15.3.2012 दिनांकित आक्षेपित आदेश के माध्यम से उच्च मानक पैमाने को वापस लेना खराब माना जाता है, बल्कि वसूली को भी खराब माना जाता है जो याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों से प्रभावित हुआ है।

(15) प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता को उच्च मानक वेतनमान के लाभों को बहाल करने और याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों से वसूल की गई राशि को वापस करने का निर्देश दिया जाता है।यदि याचिकाकर्ता केवल परिणामी लाभों का हकदार है, तो उसे सेवानिवृत्ति लाभों का ऐसा संशोधन भी दिया जाए।

(16) जिस लाभ के लिए याचिकाकर्ता इस आदेश के तहत हकदार है, उसकी गणना आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 02 महीने की अवधि के भीतर की जाए।हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता हकदार पाया जाता है, तो उसे अगले एक महीने की अवधि के भीतर जारी कर दिया जाए।

(17) तत्काल रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

सुरेन्द्र सिंह

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए लिए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानवयन के उद्देष्य के लिए उपयुक्त होगा।